फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान

श्रवण कुमार बनाम् जगदीश

प्रकरण अन्तर्गत धारा–251'ए'

प्रकरण सं.–26 / 2025 जी.सी.एम.एस नं.–2025 / 166

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर/ दिनांक
26/8/25	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने जरिए अधिवक्ता श्री पवन कुमार चुघ ने **अन्तर्गत धारा 251 'ए'** के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें एवं तहसीलदार राजस्व, अनूपगढ़ को मौका रिपोर्ट हेतु पत्र लिखा जावें। अप्रार्थीगण की तलबी जरिए नोटिस हो। पत्रावली आईन्दा **दिनांक 12.09.2025** को पेश हो। (stamp: सुरेश राव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़)	
12/9/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील उभयपक्षकारान उप० उभयपक्ष द्वारा राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 का पंच-पंचायत की समझाईश से एवं लोक अदालत की प्रेरणा से राजीनामा हो गया है। कृषि भूमि वाके चक 14 LM का मु.नं. 20 प.नं. 2/42 के कि.नं. 8 व 7 के मध्य व किला नं. 14 व 15 के मध्य सीमा कट पर उत्तर दक्षिण में किला रास्ता के स्थान पर उक्त रास्ता मु.नं. 2/42 के कि.नं. 6 व 15 का पं.नं. 2/50 के कि.नं. 10 व 11 की सीमा कट के साथ साथ उत्तर से दक्षिण में व किला नं. 16 में पश्चिम से पूर्व कि.नं. 17 तक [illegible] रास्ता में किलाने के [illegible] रास्ता को [illegible] किया जाता है तो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 को कोई एतराज नहीं है। उक्त राजीनामा उभयपक्षकार को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। पक्षकारान	श्रवण कुमार LTI प्रार्थीगण LTI जगदीश रोशनलाल LTI [illegible] दौलतराम [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:37:20 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर/ दिनांक
	स्वतंत्र सहमति एवं इच्छा से राजीनामा प्रस्तुत किया जाकर जाहिर किया प्रार्थीगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री पवन कुमार पुघके अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 की पहचान हेतु अप्रार्थीगण की आधार कार्ड की प्रति से पहचान की गई। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।	
	पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का राजीनामा प्राप्त पत्र स्वीकार किया जाकर चक 14 CM तहसील अनूपगढ़ का मु. नं. 20 प. नं. 2/42 के कि. नं. 6 व 7 के मध्य किला नं 14 व 15 के मध्य सीमाबद्ध पर उत्तर से दक्षिण में भिन्न रास्ता के स्थान पर उक्त रास्ता को प. नं. 2/42 के कि. नं. 6 व 15 में प. नं. 2/10 का कि. नं. 10 व 11 की सीमाबद्ध के साथ साथ उत्तर से दक्षिण में व कि. नं. 16 के पश्चिम में पूर्व कि. नं. 17 तक चल रहे रास्ता के मिलाने के लिए रास्ता की स्वीकृति कि० मोड के आदेश [illegible] हो। निर्णय की प्रति TDR [illegible] जावे। पत्रावली नियमानुसार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो।	

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:37:20 IST
Reason: SelfAttested